

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230410, Fax No. 07453-230244

क्रमांक एफ()एफ.सी.ए./उवस/17-18/ 10/99

दिनांक :- 25/8/17

निमित्त :-

अधिशायी अभियंता सा.नि.वि.
खण्ड छबडा।

महोदय,

विषय :- सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में कमियो की पूर्ति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज. जयपुर के प्रासंगिक पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे जिसके द्वारा कोटा से धरनावदा सडक निर्माण हेतु प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Road/6979/2014 कुल 13.558 है० के लिए जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में पाई गई कमियो की पूर्ति करवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः पूर्ति कर तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने का कष्ट करें।

1. बिन्दु संख्या 4 जिला कलेक्टर द्वारा जारी वनाधिकार प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड किये गये है किन्तु हार्ड प्रति (मूल प्रति) अभी भी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. बिन्दु संख्या 5 प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि के KML FILE & DGPS MAP सही नहीं है संशोधित प्रस्तुत किये जाने प्रस्तावित है।
3. बिन्दु संख्या 7 पार्ट II के बिन्दु संख्या 16 मे से पुराने दस्तावेजो को नहीं हटाया गया है। जो हटाया जाना प्रस्तावित है।
4. प्रस्ताव में चाही गई सूचना का दो सैट हार्ड प्रति (एक मूल प्रति) के चाहे गये थे जो अपेक्षित है इनमें एक सैट प्रतियो के साथ एवं एक सैट फोटो प्रति जिसमें सभी दस्तावेजो पर यूजर ऐजेन्सी (वन विभाग द्वारा जारी दस्तावेजो के अतिरिक्त) एवं उप वन संरक्षक, (वन विभाग द्वारा जारी एवं एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट समस्त नक्शे, जमाबन्दी राजस्व मेप आदि) पर हस्ताक्षर मय नाम, पदनाम एवं दिनांक सहित मुहर लगाया जाना प्रस्तावित है। अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है।
5. प्रस्ताव में अधिकृत अधिकारी द्वारा दी गई सूचना को मूल दस्तावेज से जिसमें अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय नाम, पदनाम एवं दिनांक अंकित हो से अपलोड किया जाना प्रस्तावित है। अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है।
6. प्रस्ताव में एम.ओ.ई.एफ. लखनऊ द्वारा उनके पत्राक दिनांक 18.09.2015 से चाही गई सूचनाए अपूर्ण भिजवाई गई है। अतः अविलम्ब का कारण स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।


उप वन संरक्षक
बारां

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर।

F 14()2014/FCA/PCCF/CCF EDS-II Dated 12.7.2017

मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा प्रस्ताव (कोटा से घरनावदा सड़क निर्माण कार्य ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Road/6979/2014) में संशोधन कर प्रस्ताव ऑनलाईन पुनः प्रस्तुत किया गया है ऑनलाईन प्रस्ताव का परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत है।

1. बिन्दु संख्या 1 - क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण स्थल की KML File अपलोड की गई है किन्तु संलग्न फाइल से यह मालूम नहीं होता है कि प्रस्ताव में गैर वन भूमि कहाँ मिली है। क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र (स्थल पर कोई अतिक्रमण नहीं होना एवं सभी विवादों से मुक्त होना) संलग्न नहीं किया गया है।
2. बिन्दु संख्या 2 - क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना 188/- प्रति मानव दिवस के आधार पर प्रस्तुत की गई है जबकि श्रमिक दर 201/- प्रति मानव दिवस हो चुकी है तदनुसार संशोधित विस्तृत क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
3. बिन्दु संख्या 4 - जिला कलेक्टर द्वारा जारी वनाधिकार प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड किये गये हैं किन्तु हाई प्रति (मूल प्रति) जमी भी प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. बिन्दु संख्या 5 - प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के KML file & DGPS map सही नहीं है संशोधित प्रस्तुत किये जाने प्रस्तावित है।
5. बिन्दु संख्या 6 - MOEF & CC Lucknow द्वारा संघित ठेकेदार/अभियंता के विरुद्ध एफ0आई0आर0 की प्रति एवं डेमेज रिपोर्ट चाही गई थी जो तक अप्राप्त है।
6. बिन्दु संख्या 7 - पार्ट II के बिन्दु संख्या 16 में से पुराने दस्तावेजों को नहीं हटाया गया है। जो हटाया जाना प्रस्तावित है।
7. प्रस्ताव में दो सेट हाई प्रति के चाहे गये थे जो अपेक्षित है इनमें से एक सेट मूल प्रतियों के साथ एवं एक सेट फोटो प्रति जिसमें सभी दस्तावेजों पर यूजर एजेन्सी (वन विभाग द्वारा जारी दस्तावेजों के अतिरिक्त), एवं उप वन संरक्षक (वन विभाग द्वारा जारी एवं एरिया कंलकुलेशन रिपोर्ट समस्त नक्शे, जमाबंदी राजस्व मैप आदि) पर हस्ताक्षर मय नाम, पदनाम एवं दिनांक सहित मुहर लगाया जाना प्रस्तावित है।
8. प्रस्ताव में अधिकृत अधिकारी द्वारा दी गई सूचना को मूल दस्तावेज से जिसमें अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय नाम पदनाम एवं दिनांक अंकित हो से अपलोड किया जाना प्रस्तावित है। अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है।
9. प्रस्ताव में एम0ओ0ई0एफ लखनऊ द्वारा उनके पत्रांक दिनांक 18.9.2015 से चाही गई सूचनाएं 2 वर्ष उपरान्त भी अपूर्ण निजवाई गई है। अतः विलम्ब का कारण स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।
10. प्रस्ताव में उप वन संरक्षक द्वारा यह सुनिश्चित कर लेवे कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ अथवा नहीं। *इस हेतु स्पष्ट रिपोर्ट भिजवाते।*
उपरोक्त बिन्दुओं की सूचना अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक कोटा को निजवाया जाना प्रस्तावित है। अतः सूचना मय हाई प्रति के निजवाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

P.C. KUMAWAT
(P.C. KUMAWAT)
DCF (FCA)
JAIPUR